न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री कैलाश चन्द्र

अपील संख्या– 115/17 तारीख रज्जू–27/06/17

1 सुन्दरा पुत्र श्री भागौता जाति मीना उम्र 60 वर्ष पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम बन्देडिया तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। ––––अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा
2 सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैक लि0 शाखा सवाई माधोपुर। –रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 20/2/19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम बेन्दडिया के नामान्तकरण संख्या 516 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा के ग्राम बेन्दडिया में अपीलान्ट की स्थित खातेदारी भूमि का नामान्तकरण सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैक लि0 शाखा सवाई माधोपुर के नाम तस्दीक किया गया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 516 निर्णय दिनांक 11.02.2017 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 सं0 1 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित तथ रेस्पों0 सं0 2 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण रेस्पों0 सं0 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण संख्या 516 तस्दीक करने से पूर्व खातेदार को कोई सूचना नहीं दी गई ना ही ग्राम पंचायत बोर्ड पर चस्पा किया गया , जो नियम विपरित होने से निरस्त योग्य है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 516 निर्णय दिनांक 11.02.2017 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त नामान्तकरण न्यायालय जिला कलेक्टर महो0 के मु0नं0 58/16 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2016 के अनुसरण में तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। यदि अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण से पीड़ित है तो उनको माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय के मु0नं0 58/16 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय के आदेश की पालना की गई है, साथ ही पेरोकार सरकार ने नामान्तकरण संख्या 516 निर्णय दिनांक 11.02.2017 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तकरण न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय के निर्णय दिनांक 19.09.2016 की पालना में तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। यदि अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण से पीड़ित है तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्णय दिनांक 19.09.2016 के अनुसरण में सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः मेरे अभिमत में अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 516 निर्णय दिनांक 11.02.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chander
Date: 2020.02.06 13:14:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: